ज्ञानतत्व – 211
क्या संघ और सिमी एक समान है?

बजरंग मुनि

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि संघ और सिमी दोनो ही समान रूप से आतंकवादी संगठन हैं। संघ परिवार ने राहुल गांधी के इस कथन का जोरदार विरोध किया। स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस के भी कुछ लोग मैदान में उतर पड़े । उनमें दिग्विजय सिंह सबसे आगे थे। वैसे तो दिग्विजय सिंह जी सिमी की तुलना संघ से करने के कभी पक्षधर नहीं रहे किन्तु संघ विरोध के मद्दे नजर उन्होंने सिमी की तुलना संघ से करना स्वीकार कर लिया अन्यथा कुछ वर्ष पूर्व तक तो दिग्विजय मुलायम अमरसिंह सिमी जैसी देश भक्त शान्तिप्रिय संस्था के विरूद्ध कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे।

मैंने अपने कई लेखों में आतंकवाद और उग्रवाद को अलग अलग किया है। मेरे विचार में जो संगठन प्रतिद्वंदिता में सहयोगी या सहभागी व्यक्तियों के विरूद्ध अनावश्यक हिंसा करें वह उग्रवादी है, आतंकवादी नहीं। आतंकवादी वह होता है जो समाज में अपना भय स्थापित करने के लिये अट्रन्डम हिंसा करता है। ऐसी हिंसा का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। नक्सलवादी, सिमी और अभिनव भारत आतंकवादी संगठन हैं जबकि साम्यवाद, इस्लाम और संघ आतंकवादी नहीं। मैंने पूर्व में भी कई बार लिखा है कि ये तीनों ही संगठन उग्रवादी हैं। ऐसी स्थिति में सिमी और संघ की समान तुलना करना राहुल गांधी का अज्ञान है और दिग्विजय सिंह की चालाकी। राहुल गांधी आतंकवाद और उग्रवाद का अन्तर समझ नहीं पाये और दिग्विजय सिंह अन्तर करना नहीं चाहते थे।

संघ के इस तर्क में दम है कि सिमी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संचालित है। सिमी के अन्दर किसी तरह का राष्ट्रीय भाव नहीं जबकि संघ पूरी तरह राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत हैं । उक्त तर्क सच होते हुए भी महत्वहीन ही है क्योंकि राष्ट्र विश्व समाज का एक भाग होता है, अन्तिम इकाई नहीं। संघ परिवार ने जबरदस्ती हल्ला कर कर के राष्ट्र को सर्वोच्च सिद्ध कर दिया। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों से पूछा कि राष्ट्र बड़ा है या धर्म या समाज तो उन्होंने उत्तर दिया राष्ट्र। मैंने मदरसे में बच्चों से पूछा कि राष्ट्र, धर्म और समाज में से कौन बड़ा है तो सबने उत्तर दिया धर्म। सच्चाई यह है कि दोनों ही गलत है लेकिन दोनों ने अपने असत्य को सत्य प्रमाणित कर दिया है। ऐसे लचर तर्क किनारे कर देने चाहिये। सिमी और संघ के बीच निःसंदेह सिमी आतंकवादी है संघ नहीं किन्तु संघ की तुलना यदि इस्लाम और साम्यवाद सरीखे संगठनों के समान भी होती है तो उसे इस बात पर गंभीर विचार करना चाहिये।

मैं व्यक्तिगत रूप से संघ, इस्लाम, साम्यवाद के सम्पर्क में रहा हूँ। साम्यवाद की एक ही संस्कृति है येन केन प्रकारेण सत्ता। हिंसा, केन्द्रीयकरण उसके आधार भूत माध्यम हैं। इस्लाम में एक गुट सूफी सन्तों का है जो सत्ता हिंसा केन्द्रीयकरणा के विरूद्ध है। अन्य लोगों का बडा गुट साम्यवाद सरीखा ही हिंसा और केन्द्रीयकरण को आधार मानता है। यह अलग बात है कि इस्लाम में अनेक लोग ऐसे भी है जो धार्मिक भावना के कारण न चाहते हुए भी चुप रहते हैं। संघ का वैचारिक आधार हिन्दुत्व हैं । किन्तु जब से उसने हिन्दुत्व के आधार से निराश होकर सत्ता संघर्ष का मार्ग पकड़ा तबसे वह भी इस्लाम और साम्यवाद की राह पर चल पड़ा। हिंसा और केन्द्रीयकरण संघ का स्वाभाविक गुण न होकर संगठनात्मक आधार है। मैं जानता हूँ कि जबसे अभिनव भारत का भेद खुला है तबसे संघ के सभी लागों के बीच एक बेचैनी है। वे बातचीत में अभिनव भारत का बचाव करते हुए भी बेचैनी महसूस करते हैं। दूसरी ओर सिमी का भेद खुलने के बाद भी कोई मुसलमान बेचैनी महसूस नहीं करता क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। संघ परिवार इतना आगे बढ़ चुका है कि वह एकाएक पीछे नहीं मुड़ सकता। उसका पूरा का पूरा काल्पनिक महल मिट्टी में मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि एक नया संघ बने जिसमें सर्वोदय और संघ के मिश्रित गुण रहें। उसका आधार अहिंसा और अकेन्द्रीयकरण हो। ग्राम स्वराज्य का विनोबा का दिया हुआ स्वावलम्बी गांव का आधार छोड़कर लोक स्वराज्य का जयप्रकाश जी का आधार बनावें। दूसरी ओर संघ के लोग सत्ता से समाज पर नियंत्रण का स्वप्न भूलकर समाज का सत्ता पर नियंत्रण की राह पर चलना शुरू करें। इससे संघ की सिमी से तुलना होनी बन्द हो जावेगी।

यदि संघ परिवार सत्ता से समाज की लाइन नहीं छोड़ सकता तो हम हिन्दू समाज के लोगों को संघ से किनारा करना एक मजबूरी है। हम समाज में सिमी से तुलना को कलंक मानते हैं। तुलना करने वाला गलत है यह सच है किन्तु संघ की तुलना सिमी से न करके इस्लाम और साम्यवाद से भी होती है तो हम हिन्दुओं का सर झुकता है। यदि अग्निवेष जी को किनारे कर दें तो शेष आर्य समाज या गायत्री परिवार की तो तुलना सिमी से नहीं हो रही। संघ विचार करे कि दोष सिर्फ तुलना करने वालों का ही है या कहीं अपनी भी भूल है। आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है।

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं जे.पी.

लेखक—गिरीश कुमार

पिछले एक दशक से विकेन्द्रित स्व—शासन की अवधारणा एवं उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन को लेकर जो बहस जारी है उससे एक बार फिर जे.पी. की याद ताजा हो गई है। हालांकि नई पीढ़ी के विद्वानों के बीच चर्चा का विषय "तिहत्तरवें संविधान संशोधन के बहुप्रचारित योगदान बनाम उसके सीमित असर"ही है। संदर्भ के तौर पर बलवंतराय मेहता एवं अशोक मेहता का भी उल्लेख होता है जिन्हें पहली एवं दूसरी पीढ़ी के पंचायती संस्थाओं का जनक माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा गांधीजी, नेहरू एवं डॉ0 अम्बेडकर भी लेकिन पृष्ठभूमि में ही नजर आते हैं, इन तमाम शोर—शराबे के बीच शायद ही कभी जे.पी. की चर्चा होती हैं जबकि वास्तविकता यह है कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर जे.पी. का योगदान न सिर्फ अनूठा है बल्कि गांधीजी के "ग्राम स्वराज" की अवधारणा के विशद व्याख्याता के तौर पर उन्हें ही याद किया जाता है।

जे.पी. की गहरी चिन्ता वस्तुतः आजाद भारत के प्रजातांत्रिक स्वरूप को लेकर थी जिसके प्रतिफल को लेकर नेहरू से उनके गहरे मतभेद थे। उनका मानना था कि नेहरू के प्रजातंत्र में आम आदमी कहीं पीछे छूट गया है, अलग —थलग पड़ गया है। पॉच साल में एक बार अपना वोट देने के अलावा उसे कहीं से भी सरकार के कामकाज के बारे में जानने, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। प्रशासकों एवं राजनैतिक वर्ग को आम आदमी की राय जानने की भी जब ख्वाहिश न हो और उसे निर्णय लेने का भी अधिकार मिले, ऐसी बात तो उनके मानस में भी न थी। ऐसे में विकास कार्यक्रमों में उसकी भागेदारी का सवाल ही नहीं उठता। करोड़ों आम लोगों की जिन्दगी को प्रभावित करने वाले निर्णय एक छोटे से कुलीन, भद्रलोक समूह द्वारा लिया जाता है। स्थानीय स्तर पर इसी कुलीन समूह के पोषित मध्यस्थ एवं प्रशासकीय अमला ही विकास कार्यो का नियन्ता होता है। आम आदमी इस कथित प्रजातांत्रिक कार्निवाल में जुड़े तो कैसे और कहॉ से, जे.पी. के सवाल सीधे—साधे थे, मौलिक थे।

उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था की तुलना एक उल्टे पिरामिड से की जो अपने सर के बल खड़ा है। इसका आधार इतना संकीर्ण है कि पिरामिड कभी भी भहरा सकता है—जे.पी. ने स्पष्ट चेतावनी दी। आगे सुझाया भी—अगर प्रजातंत्र को टिकाउ एवं मजबूत बनाना है तो इसके आधार को विस्तृत करना होगा। यानी इस उल्टे पिरामिड को सीधा खड़ा कर दिया जाय तो आम आदमी के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सीधे जुड़ने की सम्भावना काफी बढ़ जायेगी। जे.पी.मानते थे कि लोगों की शासन व्यवस्था में भागीदारी तभी सम्भव है जब सरकार को ही उनके करीब, उनके बीच ले जाया जाये। यह संसद एवं विधान सभाओं के जरिये हो ही नहीं सकता। इसकी एकमात्र कुंजी प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण में है, जिसकी प्रतिनिधि संस्थाओं को पंचायत की संज्ञा दी गयी है। ध्यान रहे, निर्वाचित पंचायती संस्थाओं को जे.पी. इस संदर्भ में "पुल" का रूपक देते थे, जो "आम" एवं "खास" के बीच की सामाजिक दूरी को पाट सकेगा।

आजादी के लगभग एक दशक बाद जे.पी. ने ऐसे कई अनूठे सुझाव दिये। संदर्भ था बलवंतराय मेहता समिति के कार्यफल स्वरूप त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थओं के अस्तित्व में आने एवं उनके जरिए लोगों को साथ लेकर सामुदायिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों में उत्पन्न अवरोध को दूर कर त्वरित गतिदेने का प्रयास। जे.पी. इसे सतही प्रयास भर ही मानते थे। बल्कि आगे उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यह प्रयास प्रजातंत्र के विस्तृत एवं दूरगामी लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय, लक्ष्य को ही ढॅक लेने का कयास है।

जे.पी. की नजर में छठे दशक के अन्त में अवतरित पंचायती संस्थाएँ शुरूआती कड़ी मात्र थी। हालांकि इन संस्थाओं के दार्शनिक स्त्रोत को विशुद्ध गांधीवादी नहीं मानते थे । जे.पी. तो गांधीवादी परम्परा के अनुकूल न्यूनतम शासन" को बेहतर शासन से अच्छा कहते नजर आते हैं। गांधीजी की तरह ही जे.पी. की भी धारणा थी कि सरकारी (बाहरी) हस्तक्षेप व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है। गांधीजी के "स्वराज" में व्यक्ति आत्मानुशासन एवं स्व—नियंत्रण से खुद को स्वशासित करे ताकि किसी बाहरी (सरकारी) हस्तक्षेप की न्यूनतम गुंजाइश रहे। ऐसे समाज में, गांधी की तरह जे.पी. भी मानते थे, व्यक्ति के अधिकार की सीमा एवं उसके जिम्मेदारियों के बीच असंतुलन नहीं होगा।

जे.पी. के विकेन्द्रित स्वशासन का दूसरा वैचारिक स्तम्भ था— सामुदायिक समाज (कम्युनिटारियन सोसायटी) की अवधारणा जिसमें व्यक्ति, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, अपने आपको समुदाय से जोड़ता है। यह "जुड़ना" कृत्रिम या मशीनी नहीं होगा बल्कि इसके नियामक सूत्र होंगे—आपसी सामंजस्य/तालमेल, सौहार्द, सदभावना एवं सहयोग—जो व्यक्ति एवं अन्ततः समाज के सर्वांगिण विकास का परिचायक होगा। जे.पी. के लोगों का यह समुदाय किसी दूर—दराज के गॉव तक ही सीमित नहीं था। उनका संसार ऐसे समुदाय के अनगिनत समकेन्द्रित वृत्ताकार समूहों का मिश्रित स्वरूप था।

जे.पी. के मतानुसार प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण या विकेन्द्रित स्वशासन के औचित्य एवं आधार के दो ही सूत्र थे— "न्यूनतम सरकार" एवं "सामुदायिक समाज"। इस दृष्टिकोण से स्थानीय सरकारों या पंचायतों

का कार्यभार या, दायित्व नगरपालिकाओं के तर्ज पर सीमित हो ही नहीं सकता था। उनके अनुसार समुदायों के प्रत्येक स्तर की अपनी सरकार हो और उसे वह सब कुछ करने का अधिकार हो जो वह करने में सक्षम हो।

इस नजरिये से देखने पर वर्तमान पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में उठा सवाल, त्रि–स्तरीय पंचायतों के बीच कार्यो का बंटवारा किस तरह हो– बेमानी हो जाता है। क्योंकि सवाल काम बांटने का है ही नहीं। तरीका आसान है। वे मानते हैं कि जिस स्तर पर जितना सम्भव हो सकता है उतना अधिकार इस स्तर के पंचायती संस्थापन को मिलना चाहिए और इसकी शुरूआत ग्राम स्तर से हो। यानी ग्राम पंचायत जो कार्य करने में सक्षम नहीं हो वहीं कार्य क्रमशः दूसरे व तीसरे स्तर अर्थात् पंचायत समिति एवं जिला पंचायत को दिया जाय।

जे.पी. चाहते थे कि देश में पॉच स्तर की सरकार हो–केन्द्र ,राज्य, जिला, ब्लाक एवं ग्राम स्तर की पंचायत सरकार। सभी अपने आप में स्वायत। इसमें "सुपीरियर" या "सबार्डिनेट" की बात ही नहीं थी, दायित्व की प्रकृति एवं आकार का फर्क था। मसलन देश की सुरक्षा, संचार, विदेश सम्बन्ध या विदेश व्यापार जैसे विषय केन्द्र सरकार के ही अधीन हो सकते थे, उनकी जिम्मेदारी वही संभालने में सक्षम थी। उसी तर्क से प्राइमरी स्कूल या सामुदायिक अस्पताल के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए।

उल्लेखनीय यह भी है कि जे.पी. की विकेन्द्रित राजनीति की अवधारणा सिर्फ एक राजनीतिक औजार की तरह एकांगी या अलग–थलग नहीं थी। उसे वह समाज, देश के सर्वांगीण विकास की एक कड़ी के रूप में देखते थे। इसके लिए उनका विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था पर–उतना ही जोर था जिसमें घरेलू एवं लघु उघोगों हथकरघा, दस्तकारी इत्यादि पर आधारित ग्रामीण विकास समाहित था। इतना ही नहीं वे सामाजिक सुधारों के भी प्रबल प्रवक्ताओं में से थे। उनका मानना था कि वर्तमान ग्रामीण व्यवस्था के दो मुख्य शक्तिशाली अवरोधको–जातिगत विभाजन एवं असमान भूमि स्वामित्व को दूर करना, सुधारना भी उतना ही अनिवार्य है। इन दोनों की मौजूदगी में दलगत पंचायती चुनाव के बावजूद उच्च जाति एवं धनी वर्गो का निर्वाचित ग्राम पंचायतों पर दबदबा बना रहेगा। ध्यान रहे, जे.पी. नहीं चाहते थे कि राजनीतिक दल पंचायती चुनाव में भाग लें। उनका पंचायतों पर दबदबा बना रहेगा। उनके पंचायती प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने हुए होते। भूमि सुधार की जे.पी. की अवधारणा भी भिन्न थी। इसका लक्ष्य रखा था "सामूहिक स्वामित्व" जो जमीन की प्रचलित निजी मिल्कियत के सिद्धान्त से सर्वथा परे था।

जाति व्यवस्था के सामाजिक–राजनीतिक दुष्प्रभावों से लगभग मुक्त, अपेक्षाकृत बेहतर भूमि सुधार के रेकार्ड के बावजूद क्या यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल की पंचायती व्यवस्था या उस राज्य की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया जे. पी. के आदर्शो के अनुकूल है, उत्तर नकारात्मक ही होगा क्योंकि बंगाल का अपेक्षाकृत सफल पंचायती राज मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर टिका है। पंचायती संस्थाओं के जरिये विकेन्द्रीकरण के दीर्घकालीन प्रयोग महाराष्ट्र एवं गुजरात तथा अल्पकालीन कर्नाटक में भी हुए हैं। इन तीनों राज्यों में दबंग खेतिहर जातियों (मराठा– कुनबी महाराष्ट्र में, पाटीदार एवं राजपूतों के साथ जुड़े कोली गुजरात में तथा वोकलिग्गा एवं लिंगायत कर्नाटक में) का पंचायती संस्थाओं पर कब्जा बना रहा। तो क्या निष्कर्ष यही होगा कि जे.पी. के विकेन्द्रित सुशासन की धारणा सिरे से ही अव्यावहारिक है?

वर्तमान राजनीतिक दलों के अत्यन्त ही निन्दनीय कियाकलापों या ओछे आचरण (कुछेक अपवादों को छोड़कर जो दलगत प्रभाव के वनिस्पत व्यक्तिगत कहीं ज्यादा है) के बावजूद, यह कहना कि राजनीतिक दलों से पंचायती व्यवस्था को बचाया जाय– यह कथन कहीं से भी व्यावहारिक नहीं लगता। इनमें सुधार हो– ऐसे शुभेच्छुओं की संख्या कम नहीं है लेकिन कहॉ से, कैसे यह नजर नहीं आता। बिना राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं को लिए, जनता के बीच सीधे जाकर विकेन्द्रित सामूहिक विकास एवं सशक्तीकरण का एक अनूठा प्रयोग पिछले छह– सात साल में मध्य प्रदेश में हुआ जिसके प्रणेता दिग्विजय सिंह चुनाव हार चुके हैं।

आत्मानुशासन, स्व– नियंत्रण, जातिगत विभाजन से विमुक्त, भूमि का सामूहिक स्वामित्व तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित सामुदायिक समाज जिसके न्यूनतम नियंता सर्वसम्मिति से चुने गये हो– जे.पी. के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आदर्श सूत्र थे। मानवीय गरिमा के उच्चतम मूल्यों से अपेक्षित "सामुदायिक समाज" के जे.पी. के इस निश्छल विश्वास या आग्रह को साकार करने की गुंजाइश कहीं से है (या तब थी)? इसका निर्णय सुधी पाठक स्वयं करें। आखिर जे.पी. की मान्यताओं में गांधी जी की तरह ही, व्यक्ति के सुविवेक पर सबसे ज्यादा जोर था। कम से कम उनकी विनम्रता एवं उदारता की सराहना तो अवश्य ही होनी चाहिए।

अगर विकेन्द्रीकरण का मकसद जनता एवं सरकार के बीच दूरी को पाटना है और पंचायती संस्थाओं को एक ऐसे उत्प्रेरक के रूप में विकसित करना है जो निर्णय लेने से लेकर प्रत्येक कार्यक्रम को लागू करने में लोगों की भागेदारी बढ़ाये, तो जाहिर है सिर्फ संविधान संशोधन एवं कानून से काम नहीं

चलेगा। कानून बनाकर न लोगों का दृष्टिकोण बदला जा सकता है, न समाज में व्याप्त असमानता को खत्म किया जा सकता है। और न ही राज्य सरकारों को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि पंचायती संस्थाओं को ये हर काम सौंप दे जिन्हें ये संस्थायें बखूबी कर सकती हैं। इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा जिसमें लोगों में जागरूकता बढ़ाने से लेकर विधायिका पर जन आन्दोलनों के जरिये दबाव डालना भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में स्वयंसेवी संस्थायें और सजग सुजान(आज के दौर में सेवानिवृत्त, पेंशनधारी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं) सीमित दायरे में ही सही, ऐसी पहल कर रहे हैं। अपने दौर में, वैचारिक मतभेद के बावजूद, जे.पी. ने इसकी पहल की थी, इसलिए वे आज भी स्मरणीय हैं और रहेंगे।

समीक्षा– विवेकशक्ति एक गंभीर वैचारिक पत्रिका है। इसके लेख बहुत सुलझे हुए पठनीय होते हैं। इसका पता 15/245 सिविल लाइन्स कानपुर 208001 है। गिरीश कुमार जी का उपरोक्त लेख विवेक शक्ति मासिक से लिया गया हैं।

मैं गिरीश जी के प्रयत्नों की प्रशंसा करता हूँ। किन्तु मैं समझता हूँ कि गिरीश जी अपने प्रयत्नों में कंजूसी कर रहे हैं। समाज में दो प्रकार के लोग होते है (1) भावना प्रधान (2) बुद्धि प्रधान। भावना प्रधान लोगों की क्षमता इतनी नहीं होती कि वे स्वयं निष्कर्ष निकाल सकें। इसलिये ऐसे लोगों को समझाने के लिये मृत महापुरूषों के उद्धरणों का सहारा लिया जाता है। किन्तु विचार प्रधान लोगों को समझाने के लिये मृत महापुरूषों को आधार बनाना घातक होता है। क्योंकि उक्त महापुरूष ने अपने जीवन काल में कई प्रकार की विपरीत बातें भी कहीं या लिखी होंगी। संभव है कि एक ही विषय पर दो विपरीत पक्ष एक ही महापुरूष के भिन्न भिन्न समय के विचारों का सहारा लेने लगे। ऐसी स्थिति में अपना विचार मजबूती से रखने में कठिनाई आती है। गांधी जी ने लोकस्वराज्य की बात भी कहीं और शराब बन्दी की भी। लोक स्वराज्य की अवधारणा गुलामी से मुक्ति से संबंध रखती थी और शराब बन्दी व्यक्ति की अपनी कमजोरी दूर करने से। गांधी के बाद सर्वोदय ने शराब बन्दी के विचार को तो कस कर पकड़ लिया और लोक स्वराज्य संघर्ष से किनारा कर लिया। यहॉ तक कि उन्होंने तो ग्राम स्वराज्य की परिभाषा ही बदल दी। इसी तरह जय प्रकाश जी के साथ भी हुआ। जे.पी. ने लोकस्वराज्य की बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा रखी और जनेउ तोड़ो की बात भी कहीं। उनके लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अर्थ लिये। लोहिया जी के साथ भी वहीं हुआ और मेरे आपके साथ भी वही होगा। आप एक गंभीर विचारक हैं। विवेक शक्ति भी कोई सामान्य पत्रिका नहीं। हम आप जैसे गंभीर लेखकों को चाहिये कि हम विचारों के साथ महापुरूषों का नाम विशेष स्थिति में ही उदाहरण स्वरूप जोड़ें न कि महापुरूष की प्रतिष्ठा में उदाहरण स्वरूप कुछ विचार। आपके लेखन से लगा कि आप बुद्धिजीवी वर्ग को समझाने की सामर्थ रखते हैं।

विवेक शक्ति के इसी अंक में प्रमोद कुमार जी का एक लेख जे.पी. के विचारों को आधार बनाकर लिखा गया है जिसके अनुसार "सत्ता के केन्द्रीयकरण का आधार आर्थिक असमानता है। जब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं होती तब तक राजनैतिक सत्ता कुछ हाथों में इकट्ठी होती जायेगी। सन् इक्यान्नवे के बाद जब से नई अर्थनीति आई है तब से तो यह आर्थिक गैर बराबरी और भ्रष्टचार दिन दूने रात चौगुने बढ़े है।" मैंने प्रमोद जी का पूरा लेख पढ़ा। मुझे लगा कि पूरी बात को उल्टा करके कहा जा रहा हैं। सच्चाई यह है कि जितना ही सत्ता का केन्द्रीयकरण हो रहा है उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी आर्थिक असमानता में सहायक हो रही है। भारत में राजनैतिक सत्ता के अकेन्द्रीयकरण की चर्चा तो शून्यवत् ही है विकेन्द्रीयकरण की चर्चा भी नही ंके ही बराबर है। दूसरी ओर चारों ओर आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की चर्चा हो रही है जिसका परिणाम न अब तक हुआ है न होगा। हम आप आर्थिक गैर बराबरी को तब तक नहीं रोक सकते जब तक भ्रष्टाचार न रूके और भ्रष्टाचार की जड़ है केन्द्रित सत्ता। प्रमोद जी जे अपनी बात कहने के लिये भी जे.पी. का सहारा लिया। जे.पी. ने विकेन्द्रित सत्ता के बाद विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था की बात कही थी न कि केन्द्रित सत्ता में।

मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों पर खुला विचार मंथन हो।वैसे जे.पी. ने जो कहा वह पूरी तरह सच है। आवश्यकता यह है कि हम उसे और तेज गति से आगे बढ़ाये। आप सलाह दें कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

(1) श्री सुरेश भाई सर्वोदयी, द्वारा जगदीश शरण गुरूजी, दीनदयाल इन्टर कॉलेज चिकासी, जिला–हमीरपुर,उ0प्र0

चिंतन– मंदिर मस्जिद विवाद पर चर्चा के पूर्व यह तय हो कि मंदिर क्यों बनते थे? वैसे तो सारा संसार ही ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर को किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं किया जा सकता। फिर भी जिस तरह हम भोजन के लिये रसोईघर, सोने के लिये शयनकक्ष, व्यायाम के लिये व्यायामशाला, शिक्षा के लिये स्कूल बनाते हैं उसी तरह हम अपने धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन के लिये मंदिर बनाते है। जान रस्किन ने कहा था।**The place of worship is that where devine spirit is felt** "यानी

– पूजा का स्थान वही है जहाँ पर दिव्य –आत्मा का अहसास (अनुभव) होता है।" इसका अर्थ हुआ कि मंदिर न कोई ईश्वरीय स्थान है न पूजा स्थल। वह तो मात्र व्यक्ति के विचारों में भावनात्मक शुद्धिकरण की दिशा देने का एक केन्द्र मात्र होता हैं।

यदि हम गंभीरता से विचार करें तो पायेंगे कि मंदिरों का दुरूपयोग हमारी ही गल्ती से शुरू हुआ। हमने ही मंदिरो को उँचनीच ,छूत अछूत ,घृणा ,द्वेष का अखाड़ा बना दिया तो स्वाभाविक ही था कि ऐसे धर्म स्थानों से भी प्रेम और भाईचारा के संदेश की जगह तिकड़म घृणा द्वेष का विस्तार हुआ। इसी तरह हमारी धर्म व्यवस्था का मूल तत्व था अपरिग्रह। हमारे मंदिर अपरिग्रह को भूल गये और धन वैभव संग्रह में लग गये। गोबर के सर्व सुलभ गणेश और दो रूपये की मिट्टी की राम कृष्ण की मूर्ति जो निर्विकार भाव का संदेश देती थी वह निर्विकार समतुल्य व्यवहार युक्त भावना ये सोने की मूर्तियॉ या सर्व सुविधा युक्त मंदिर नहीं दे सके। विचार करिये कि जो भेदभाव युक्त समाज व्यवस्था स्वर्ण आभूषण युक्त वैभवकारी परिवार व्यवस्था कलियुग के पाप माने गये वहीं पाप धीरे धीरे हमारे देव स्थलों तक में प्रवेश कर गये तो कलियुग का जो प्रभाव होना था वह हुआ। मूर्तियों की सुरक्षा ताले करने लगे और मंदिरों के विवाद न्यायालय निपटाने लगे। हमने जैसा बोया वैसी ही तो फसल कटनी थी। जब हमने विवाद और संग्रह के बीज बोये तो उसके प्रति मुगलों में तोड़ाफोड़ और लूटपाट का आकर्षण हुआ जो मूर्ति विध्वंस के रूप में सामने आया।

मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे प्रभु राम ने ही बाबर औरंगजेब को प्रेरित करके इन कुपथ गामी मंदिरों को विध्वंस कराया होगा। हमें चाहिये कि हम अब भी सतर्क होकर विचार करें और उन मूल कारणों की पुनरावृत्ति न होने दें जो ऐस उन्माद का कारण बनीं।

उत्तर– मैं आपकी सोच से सहमत हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही खुदा मुसलमानों का घमण्ड चूर करने के लिये न्यायाधीशों के रूप में फैसला सुनाने बैठ गया हो। यदि आपके विचारों के आधार पर कट्टरपंथी मुसलमान संगठन सूफी सन्तों की तथा कट्टरपंथी हिन्दू संगठन गांधी की बातें सुनना शुरू कर दें तो ऐसे ऐसे मंदिर मस्जिद विवाद पैदा ही क्यों हों। ये कट्टरवादी हिन्दू मुसलमान दो गुटों में बंटकर जब टकराव के बाजे बजाने शुरू करते हैं तब हमारे शान्ति प्रिय लोग भी दो गुटों में बंटकर उस टकरावी बाजे की सुर में ताल लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम शान्ति प्रिय लोग इन बांटने वालों से दूरी बनावें।

सर्वोदय इस दूरीकरण प्रक्रिया को तेज कर सकता था किन्तु सर्वोदय ने वामपंथियों के प्रभाव में आकर स्वयं को एक गुट में शामिल कर लिया। सर्वोदय को चाहिये था कि वह साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष या हिंसक और शान्ति प्रिय वर्ग विस्तार करता। किन्तु सर्वोदय मुसलमान और हिन्दू या पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष में उलझ गया। सर्वोदय ने संघ को ही हिन्दू मानने की भूल कर दी। मैंने कई बार प्रयत्न किया किन्तु सर्वोदय नेतृत्व तो ऐसा अमेरिका विरोध का दीवाना था कि वह उचित अनुचित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था।

आपने जो लिखा उससे मेरी पूरी सहमति है। यदि आप इस दिशा में कुछ आगे बढ़े तो मैं आपके साथ कदम मिला सकता हूँ।

2.श्री राजेन्द्र तिवारी भारतीय, महालक्ष्मीनगर, इंदौर,म0प्र0

प्रश्न– आपने ज्ञान तत्व अंक दो सौ सात के पृष्ठ बत्तीस पर श्री एस.के.त्रिवेदी फतहपुर के प्रश्न के उत्तर में लिखा कि "एक स्त्री और पुरूष का अपने परिवार और समाज के विरूद्ध मिलन अनैतिक हैं। सरकार को चाहिये कि वह प्रेम विवाहों को प्रोत्साहित न करे"।

इन दोनों कथनों पर आप फिर से विचार करें। यदि दो बालिग युवक युवती खूब सोच समझकर, एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर ऐसा विवाह करते हैं जो परिवार और समाज की रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, दकियानूसी, सोच स्वीकार न करे तो क्या ऐसा विवाह अनैतिक असामाजिक कार्य होगा? क्या ऐसी रूढ़िवादी सामाजिक सोच, मान्यताओं तथा परंपराओं को इसी तरह स्वीकार किये जाने के आप पक्षधर हैं।

आपने लिखा कि समाज धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग इकाइयां है। मेरी जानकारी अनुसार समाज सर्वोपरि है और समाज की सहायता के लिये धर्म और राज्य रूपी दो इकाइयां बनीं। देश काल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिये। आप राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन पर तो गंभीर तथा विस्तृत विवेचना देतें हैं किन्तु सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन के विषय में आपकी कलम नहीं चलती।

उत्तर– हमें पहले यह तय करना होगा कि व्यक्ति, परिवार और समाज के क्या क्या अधिकार है और क्या क्या सीमाएँ हैं। व्यक्ति के बालिग होते ही वह पूर्ण स्वतंत्र है या उसकी संयुक्त स्वतंत्रता हैं। यदि बालिग स्त्री पुरूष आपस में विवाह या संबंध बनाते हैं तो उसमें परिवार और समाज की शुन्य भूमिका होनी

चाहिये या कुछ प्रतिशत होगी और यदि होगी तो किस तरह। यह भी समझना होगा कि स्वतंत्र विवाह मात्र से कोई बालिग बिना परिवार की सहमति के परिवार का सदस्य कैसे रह सकता है। कोई लड़की स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकती है किन्तु उसका यह जीवन साथी उसके पिता की मर्जी के बिना दामाद नहीं बन सकता।हम पहले विचार करें कि बालिग स्त्री पुरूष को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए या उसकी कोई सीमा होगी। मेरे विचार में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के बाद ही हम कोई नई व्यवस्था दें।

मैंने ऐसे मिलन को अनैतिक ही कहा है अपराध नहीं। इसका अर्थ हुआ कि ऐसा मिलन असामाजिक कार्य है किन्तु समाज विरोधी नही। परिवार और समाज को पूरी तरह किनारे करके बालिग स्त्री पुरूष मिलन की असीम स्वतंत्रता मेरे विचार में उचित नहीं।

व्यक्तियों के सोच व्यक्तिगत होते हैं। आवश्यक नहीं कि सबकी सोच समान हो। एक बालिग लड़का लड़की विवाह के मामले में गुणों के आकलन के बाद निर्णय कर रहा है या लैंगिक सुखों के आकर्षण से इसका आकलन कौन करेगा। क्या यह निष्कर्ष सही होगा कि उसके माता पिता का आकलन भी गलत होगा और समाज का भी किन्तु उन दोनो का आकलन निर्दोष ही होगा। किसी मामले में माता पिता भी गलत हो सकते है तो किसी मामले में युवक युवती भी। ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता किसी एक वर्ग की दी गई तो अव्यवस्था अधिक होने का खतरा है। लड़के लड़की की निर्णय क्षमता को ही निर्दोष मानकर परिवार और समाज को पूरी तरह दोषी मानना नितांत गलत है। परिवार और समाज दकियानूसी अवैज्ञानिक रूढ़िवादी है और नई पीढ़ी पूरी तरह गुण अवगुण की परख करके ठीक ठीक निर्णय करने वाले ऐसी सोच बदलना चाहिये। न व्यक्ति को ही निर्णय का अन्तिम अधिकार देना ठीक है न परिवार और समाज को। तीनों का एक दूसरे पर आंशिक अंकुश हो। अन्तिम निर्णय तो लड़के लड़की का ही होगा किन्तु समाज और परिवार उन्हें चाहे तो बहिष्कृत भी कर सकता हैं। ऐसी स्वतंत्रंता को मजबूरी मानकर बरदाश्त कर सकते है किन्तु प्रोत्साहन देना पूरी तरह गलत कदम होगा।

आपने समाज सर्वोच्च लिखा उससे मेरी सहमति है। समाज को दबाकर धर्म और राज्य ने पंगु बना दिया हैं। समाज व्यवस्था को जानबुझकर तोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि मेरी प्राथमिकता समाज सशक्तिकरण है। फिर भी बीच बीच में अन्य सामाजिक धार्मिक विषयों पर भी चर्चा होती रहती है। यदि आप किसी अछूते विषय की ओर ध्यान दिलावें तो उस पर भी चर्चा छेड़ी जा सकती है। वैसे मेरी प्राथमिकता समाज के विरूद्ध राज्य और धर्म की कुटिल योजनाओं का पर्दाफाश करना मुख्य है।

3.श्री रामकृष्ण पौराणिक ,राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान यज्ञ परिवार, उज्जैन, मध्यप्रदेश

<u>"भारतीय आर्थिक नव रचना–एक रूप रेखा"</u>

कठोर श्रम करो, देर तक करो, खेतों में उद्योग शाला में।
दूध–मधु बहुल होना चाहिए,अपना यह देश।।
अपने लोगों द्वारा बने सामान से भरा हो हमारा देश।?
अपने हस्त कौशल से निर्मित कृतियों को दुनिया भर में फैला दो।।
(तेलगु कवि गुर्जाडा –कृत "देश भक्ति")

पाश्चात्य अर्थनीति का आधार विशालकाय यंत्रों और कारखानों से थोक में उत्पादन तथा अपव्यय मूलक उपभोग (यूज एण्ड थ्रो) है। जबकि भारतीय जीवन दर्शन अनुसार अर्थनीति का आधार धर्म और लक्ष्य मोक्ष है। अर्थात् समस्त आर्थिक गतिविधियॉ धर्माधिष्ट होनी चाहिए और उनका लक्ष्य त्याग और वैराग्य पूर्वक संयमित उपभोग द्वारा तृष्णाओं से मुक्ति ("वान्ट लेसनेस ––प्रो. जे.के. मेहता) है।

पाश्चात्य अर्थ व्यवस्था चाहे पूॅजीवादी हो अथवा साम्यवादी–दोनों ही विशाल यंत्रीकरण, केन्द्रीकृत उत्पादन, एकाधिकारवाद, संघर्ष, गलाकाट प्रतियोगिता और राज्य शक्ति पर आधारित हैं जबकि प्रस्तावित भारतीय नवीन सामुदायिक अर्थ व्यवस्था का आधार विकेन्द्रीयकरण, स्वावलम्बन, स्वदेशी भाव और लोकस्वराज्य होगा। इस व्यवस्था में सभी उद्यमों की स्थापना स्वस्वामित्व/सहकारिता/स्वैच्छिक सहभागिता(स्व सहायता समूह) और न्यासी पद्धति से होगी। इस व्यवस्था में संचालन का एक नवीन वैज्ञानिक–अर्थशास्त्रीय स्वरूप होगा। इस व्यवस्था का बीज रूप महात्मा गांधी, डॉ0 जे0सी0 कुमारअप्पा, जयप्रकाश नारायण, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, प्रो0 जे.के.मेहता, ए.नागराज आदि द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसे संक्षेप में हम निम्नानुसार समझ सकते हैं:–

1. प्रत्येक आर्थिक समुदाय (इकाई) पारिवारिक अर्थव्यवस्था का विस्तृत रूप एवं सम्पूर्ण समाज का लघुरूप होगा। अतः इसमें कोई अपव्यय नहीं होगा तथा प्रकृति के साथ सहयोग होगा और प्रदूषण नहीं के बराबर होगा।
2. इस सामुदायिक अर्थव्यवस्था में परिवार और स्थानीय समुदाय की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता से होगा। साथ ही न्याय और सुरक्षा, शिक्षा– सुसंस्कार,

3. ज्ञान–विज्ञान, कला– कौशल, सभ्यता–संस्कृति, धर्म –आध्यात्म आदि के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर "श्रेय और प्रेय" दोनों का आदर्श संतुलन होगा किन्तु नशा, वासना, स्वेच्छाचार, शोषण, अति संग्रह, अर्थ का भोंडा प्रदर्शन, धूतक्रिया आदि आसुरी कार्यो के लिए अर्थ का प्रयोग पूर्णतया त्याज्य और वर्जित होगा।
4. इस सामुदायिक अर्थ व्यवस्था में प्रत्येक उपभोक्ता (शिशु, बीमार, अशक्त को छोड़कर) उत्पादक भी होगा। यहॉ हजूर–मजूर, स्वामी–सेवक जैसी स्थिति नहीं होगी। सभी परस्पर सहयोगी होंगे।
5. नवीन सामुदायिक अर्थव्यवस्था में सभी आवश्यक संसाधनों और कच्चे माल की आपूर्ति यथा संभव स्थानीय और निकटस्थ क्षेत्र से करने को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे अनावश्यक भार वहन, यातायात तथा संचार की समस्याओं और मूल्यवृद्धि का सामना नहीं करना होगा।
6. स्थानीय ग्राम समुदाय से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन का स्वरूप गर्भनाल रूपी मण्डलाकार ढंग से संसाधनों की आपूर्ति और उत्पादन के उपभोग का होगा। अर्थात् यह व्यवस्था परस्पर सहयोग, अंग–अंगी भाव से साझेदारी, निरन्तरता पूर्ण उत्पादन और संयमित उपभोग पर आधारित होगी। इसमें आर्थिक अति असमानता, शोषण, गलाकाट, प्रतियोगिता, अति उत्पादन, अल्प उत्पादन, कालाबाजार तथा सट्टेबाजी जैसी समस्याऍ खड़ी ही नहीं होगी।
7. सभी प्राकृतिक संसाधनों पर संबंधित समुदाय/समुदायों का साझा स्वामित्व होगा। परिवारों, समुदाय तथा समुदायों के बीच इनका वितरण परस्पर समझदारी या पंच फैसले से किया जा सकेगा।
8. समुदाय में श्रमिकों अर्थात् प्रत्यक्ष उत्पादकों की स्थिति प्रधान होगी। सभी संसाधनों के सार्थक एवं आवर्तनशील उपयोग को प्राथमिकता दी जावेगी। समाज विरोधी, निरर्थक कार्य और आयोजन अस्वीकार्य होंगे। इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक का दर्जा और पारिश्रमिक निरीक्षक, मार्गदर्शक, संयोजक आदि से कम नहीं होगा।
9. श्रमिक या कारीगर और सेवा के क्षेत्र में नियुक्त सभी लोगों की कार्यक्षमता तथा कार्य करने की स्थिति में निरन्तर सुधार अपेक्षित होता है। अतः उनका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास होता रहे इस बात का समुदाय पूरा ध्यान रखेगा। उनकी स्रजनात्मकता बढ़ेगी। उनके श्रम में विविधता होगी, उत्पादन में कलात्मकता और गुणवत्ता बढ़ेगी। श्रमिक अपने कार्य परिवार, समुदाय और प्रकृति के प्रति आत्मीयता का अनुभव करेंगे। ये सब रचनात्मक स्थितियॉ पारिवारिक सहयोग भावना से ओतप्रोत स्वस्वामित्व, सामुदायिक–सहकारी, स्व सहायता समूह और न्यासी अर्थ व्यवस्था में ही संभव है।
10. सामुदायिक अर्थ व्यवस्था का दायरा (प्रान्त एवं राष्ट्रीय शासन के विशिष्ट आर्थिक दायित्वों को छोड़कर) सभी सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों–कृषि, वानिकी, पशुपालन, उद्योग–धन्धे, खनन, व्यापार–व्यवसाय, यातायात, संवादवहन, मुद्रा का लेन–देन, पर्यटन, सेवा के विभिन्न क्षेत्रों आदि की समस्त आर्थिक गतिविधियॉ तक विस्तारित होगा।
11. भारत में वर्तमान पूॅजीवादी व्यवस्था में एक ओर राज्य न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाने का नाटक किया जाता है, दूसरी ओर पेट्रोल–डीजल चालित मशीनों (अर्थ मूवर, हार्वेस्टर आदि) का उपयोग निरन्तर बढ़ा– बढ़ाकर मानव एवं पशुश्रम की मांग निरन्तर घटाई जाती है। यह एक छल पूर्ण स्थिति है। "नरेगा" में भी मशीनों का उपयोग हो रहा है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है– "मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है"। अतः नवीन सामुदायिक अर्थ व्यवस्था–भोजन, वस्त्र और आवास निर्माण संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियों में मानव एवं पशुश्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी ताकि उनकी मांग निरन्तर बढ़ती रहे तथा बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की स्थिति कभी भी उत्पन्न न हो।
12. नवीन सामुदायिक अर्थ व्यवस्था में प्रत्येक सामुदायिक इकाई के स्तर पर उर्जा के क्षेत्र में आवर्तनशील स्थानीय संसाधनों का अधिकतम वैज्ञानिक उपयोग किया जाकर स्वावलम्बन प्राप्त किया जावेगा। विशालकाय कल–कारखानों की उर्जा आपूर्ति हेतु गैरपरम्परागत (वायु, जल, सौर, भूगर्भ, जैविक आदि) उर्जा संसाधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। परिणाम स्वरूप पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला और अणुशक्ति के स्वामित्व हेतु होने वाले युद्धों और इन साधनों द्वारा उत्पन्न भयंकर प्रदूषण से इस भूमण्डल को निजात मिल सकेगी।

13. नवीन सामुदायिक अर्थव्यवस्था में सभी सामुदायिक आर्थिक उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन का कार्य सम्बद्ध समुदाय द्वारा स्थापित संचालन समिति द्वारा उत्पादकों (श्रमिकों) की पूर्ण साझेदारी से होगा या श्रमिकों द्वारा नियुक्त संचालन समिति द्वारा हो सकेगा।
14. जहॉ तक व्यक्तिगत पुरूषार्थ और प्रेरणा का प्रश्न है। इस नवीन व्यवस्था में निजी स्वामित्व के उद्योगों के लिए काफी गुंजाइश रहेगी। मात्र एक सीमा होगी कि उद्योजकों को सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करते हुए सामुदायिक हितों का भी समुचित ध्यान रखना होगा।

उपसंहार–

आचार्य चाणक्य का सूत्र है– "हर प्राणी सुख चाहता है, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है।" जहॉ तक राज्य व्यवस्था का प्रश्न है– भारत में प्रचलित वर्तमान संसदीय तंत्र (जो कि पूरी तरह लूट तंत्र बन गया है) के स्थान पर आम नागरिकों के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी, वास्तविक लोक स्वराज्य व्यवस्था की स्थापना यथा शीघ्र करनी होगी।

साथ ही वर्तमान में भीषण विषमता मूलक, उर्जा भक्षी भीमकाय यंत्र चालित, हिंसा तथा शोषण पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों की सत्यानाशी और प्राणलेवा प्रदूषण फैलाने वाली पॅूजीवादी और एकाधिकारवादी –दोनों अमानवीय अर्थव्यवस्थाओं से तत्काल पिण्ड छुड़ाना होगा।

साथ ही साथ परिवार, ग्राम ग्राम संकुल, जनपद, जिला, क्षेत्र, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर मण्डलाकार और अंग–अंगी भाव से स्वशासी, स्वायत्त, विकेन्द्रित स्वावलंबी स्व स्वामित्व युक्त/सामुदायिक/ सहकारिता/स्व सहायता समूह और न्यास पद्धति पर आधारित यह नवीन अर्थ व्यवस्था भी हमें यथा शीघ्र अपनानी होगी।

इस नवीन स्वदेशी, सामुदायिक अर्थ व्यवस्था में बड़ी पॅूजी के उद्योग भी निश्चित रूप से होंगे ही और उनके अंशधारी (शेयर होल्डर), संचालक मण्डल, अध्यक्ष आदि भी होंगे। किन्तु वे उस उद्योग तथा उसकी सम्पूर्ण चल–अचल संपत्ति के मात्र संयोजक, संरक्षक और न्यासी होंगे–मालिक नहीं। साथ ही उन्हें किसी प्रकार के भत्ते और वेतन आदि की पात्रता भी नहीं होगी। वे मात्र न्यासी के रूप में सम्मान और अंशधारी के रूप में लाभ–हानि के हकदार होंगे।

सदा से भारतीय नवोत्थान की यह मूल विशेषता रही है कि प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नव रचना का आधार आध्यात्मिक नव जागरण ही रहा है। आधुनिक काल में भी राजाराम मोहनराय से लेकर योग ऋषि रामदेवजी आदि तक यह परम्परा सतत् प्रवाहमान है।

इस नव जागरण के महायज्ञ में हम अपने–अपने सकारात्मक चिन्तन–मनन और क्रियाशीलता की पवित्र समिधा सतत् डालकर भारतीय अर्थव्यवस्था रूपी स्वर्णिम गरूड़ के दोनों पंखों–कृषि और उद्योग को निरन्तर विकसित करते रहें यह नितान्त आवश्यक है।

भूमिः स्वर्गताम् यातु, मनुष्यों यातु देवताम्।
धर्मो सफलताम् यातु, नित्यं शुभोदयम् ।।(ए. नागराज)

(रामकृष्ण पौराणिक "वत्स")

4.श्री जगदीश गांधी, संस्थापक प्रबंधक, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनउ,उत्तर प्रदेश

समीक्षा– मैंने ज्ञानतत्व के कुछ अंक पढ़े। ज्ञान तत्व में प्रकाशित आपके विचार मस्तिष्क में लहरें पैदा करने वाले हैं। ऐसी पत्रिकाएँ मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखी है। सहमति असहमति अपने आप में अलग विषय है। किन्तु विचारों में स्पष्टता और दृढ़ता बिल्कुल भिन्न विषय है। आपके विचारों में स्पष्टता और दृढ़ता दिखी। मैं आपके प्रयत्नों की प्रशंसा करता हूँ।

हमारा मानना है कि महात्मा गांधी केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के पितामह ही नहीं थे अपितु उन्होंने विश्व के कई देशों को स्वतंत्रता की राह भी दिखाई। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत केवल एशिया और अफ्रीका का ही नहीं अपितु सारे विश्व की मुक्ति का नेतृत्व करें। उनका कहना था कि "एक दिन आयेगा, जब शांति की खोज में विश्व के सभी देश भारत की ओर अपना रूख करेंगे और विश्व को शांति की राह दिखाने के कारण भारत विश्व का प्रकाश बनेगा।" इस प्रकार यदि हमें सम्पूर्ण मानव जाति को महाविनाश से बचाते हुए सारे विश्व में शांति एवं एकता की स्थापना करनी है तो इसकी शुरूआत करने हेतु (1) हमें बच्चों को "विश्व बधुत्व" की शिक्षा देकर उन्हें विश्व नागरिक बनाना होगा तथा (2) भारत सरकार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपनी महान संस्कृति, सभ्यता एवं विश्व के सबसे अनूठे संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुरूप विश्व के नेताओं की एक बैठक भारत में अतिशीघ्र बुलाने की पहल करनी होगी। इस प्रकार विश्व में एकता एवं शांति की स्थापना के लिए

पहल करके ही हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के "विश्व बन्धुत्व" के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजली दे सकते हैं।

इस पत्र के साथ चार लेख भेज रहा हूँ। ज्ञान तत्व में यथा संभव उपयोग करें तो समाज का लाभ होगा।

उत्तर— श्री कृष्ण चन्द्र जी सहाय आगरा वाले कई वर्षो से आपकी प्रशंसा करते रहे हैं। मैं चाहता था कि आपका सानिध्य प्राप्त हो। मेरा लखनउ आना नहीं हो पाया और आपका व्यक्तित्व सुनकर मैं ज्यादा हिम्मत भी नहीं जुटा सका। आपका पत्र पाकर मुझे संतोष भी हुआ और पश्चाताप भी हुआ कि अब तक मैं आपका सानिध्य नहीं पा सका।

दिसम्बर पचीस से एक जनवरी तक के लोक स्वराज्य सम्मेलन में यदि किसी दिन आपकी सहभागिता संभव हो तो हमें खुशी होगी। यदि आप व्यस्तता वश नहीं आ सके तो मैं फरवरी मार्च में लखनउ आकर आपसे मिलूंगा।

आपने चार लेख भेजे जिनके शीर्षक ये हैं।

01. बच्चों को विश्व बंधुत्व की शिक्षा देकर ही महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जा सकता है।
02. नारी का सम्मान जहॉ है, संस्कृति का उत्थान वहॉ हैं।
03. हिम्मत कभी न हारों वीरों, हिम्मत कभी न हारों।
04. कर दो दूर प्रभु मेरे मन का अंधेरा।

आपके तीन लेख अत्यन्त उच्च कोटि के हैं। ये तीनों लेख गंभीर निष्कर्ष लिये हुए हैं। इन लेखों में लिखी हुई कोई भी बात विवादास्पद नहीं जिसकी समीक्षा संभव हो। यदि कोई व्यक्ति यह लिखे कि सदा सत्य बोलना चाहिये तो यह बात पूर्णतः सत्य है। ज्ञानतत्व किसी सत्य प्रमाणित विचार के प्रचार प्रसार से भिन्न सत्य और असत्य के बीच विचार मंथन में सहायता तक सीमित है। आपके तीन लेखों में विचार मंथन की गुंजाइश नहीं। चौथा लेख महिलाओं पर है। मैं महिलाओं को पृथक वर्ग न मानकर उन्हें परिवार का एक सदस्य मानता हूँ। समाज व्यवस्था त्रिस्तरीय है (1)व्यक्ति(2)परिवार(3)समाज। पहली इकाई में प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है। उसमें सबको समान अधिकार होना चाहिये। दूसरी इकाई परिवार है। इसमें भी महिला और पुरूष कोई पृथक समुदाय नहीं। तीसरी इकाई समाज है जिसमें सब लोग शामिल है। प्राचीन समय में पुरूष प्रधान व्यवस्था ने कुछ विसंगतियॉ पैदा कीं। यदि अब हम महिलाओं को अलग न माने तो अधिक अच्छा होगा। इस संबंध में मेरे कई लेख छपे हैं। यदि उपलब्ध न हों तो सूचित करियेगा। मैं पुनः भेज दूंगा।

मैं आपके समान गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान के साथ संवाद चाहता हूँ। आवश्यक है कि हम आप विभिन्न असहमत बिन्दुओं पर संवाद शुरू करें। आप स्वयं गांधी हैं और मैं गांधी मार्ग का अनुयायी हूँ इसलिये प्रेम पूर्वक विचार मंथन संभव है। आशा है कि आप दिसम्बर में रामानुजगंज आने का समय निकालेंगे।

5. श्री अशोक जैन, 3सदर थाना रोड़ ,नई दिल्ली—110006

प्रश्न—ज्ञान तत्व मिलता है। आपने एन्डरसन संबंधी जो तर्क दिये वे प्रशंसनीय हैं। एन्डरसन के विरूद्ध जिन लोगों ने अभियान छेड़ा उनके निहित स्वार्थ रहे होंगे। किसी कम्पनी में काम करते समय किसी व्यक्ति की दो प्रकार की भूमिकाएँ हुआ करती है (1)व्यक्तिगत(2)कम्पनी की ओर से। यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत लापरवाही प्रमाणित होती है तब उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दण्डित किया जा सकता है। कम्पनी की किसी लापरवाही के लिये व्यक्ति दण्डित नहीं हो सकता। आपने बहुत हिम्मत का काम किया है।

ए.के. अरूण जी के प्रश्न का आपका उत्तर उन्हें निरूत्तर किया होगा। यदि उनका कोई उत्तर मिले तो अवश्य प्रकाशित करियेगा।

उत्तर— मैं जानता हूँ कि आज के तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ अपना दबाव बनाना जानते हैं, समाधान पर चर्चा नहीं करते। अब तक अरूण जी या किसी अन्य पाठक, का उत्तर अप्राप्त है। वैसे अरूण जी अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे पूर्व परिचित भी है। हम मिलकर भी चर्चा कर लेंगे।

आपके पास ज्ञानतत्व जाता नहीं है। फिर भी आप पढ़ते हैं यह खुशी की बात है। आप यदि लिखेंगे तो हम आपको नियमित ज्ञान तत्व भेजना शुरू कर देंगे। मैं कभी दिल्ली आउॅगा तो आपसे मिलने का भी प्रयत्न करूंगा।

6. श्री मनु बाकली, पाली, राजस्थान पिन—306901

आप द्वारा ज्ञान तत्व मुझे निरंतर मिलता रहता है। यह वास्तव में ज्ञान के तत्वों से भरपूर होता है। यथा नाम तथा गुण। इसमें बहुत ही उपयोगी तथा तथ्यात्मक जानकारी हर विषय पर आपकी निर्विवाद

सत्य टिप्पणियॉ ज्ञानवर्धक व ज्वलंत समस्यायों के निदान हेतु उपयोगी हैं। गांधीवाद, आर्यसमाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ,नक्सलवाद,मानवता आयोग आदि के कार्य कलापों पर आपके विचार इन लोगों के कार्यो की समीक्षायें सही है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस और कोई भी अन्य संस्थायें ये अपने लिये येन केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि में लगे हुये है। देश की इन समस्याओं का इनके पास हल करने का कोई सही तरीका नहीं है न इन समस्याओं को हल करने की इनमें रूचि है । ये जनता को बेवकूफ बना सत्ता हथिया कर उनका दुरूपयोग में लगे है। जनता को अधिकार ये देना ही नहीं चाहते हैं । सरकारी व गैर सरकारी सारी जगह भ्रष्टाचार का बोल बाला है। सब अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे है। गरीब व कमजोर व्यक्तियों के दुख दर्द की किसी को परवाह नहीं है।सत्ता में रहने तथा किसी भी तरह धन संग्रह में लगे है।

आजादी के इतने वर्षो में भारत में लूट खसोट तथा सत्ता का दुरूपयोग,जनता को बेवकूफ बना कर येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना अपना मुख्य उद्देश्य रह गया है।

आप द्वारा प्रारंभ प्रयोग जनता को सत्ता में भागीदारी एक उत्तम व जनता हित में प्रशंसनीय कार्य हे। अगर इसका अनुकरण भारत के हर प्रांत में ग्राम स्तर से लागू हो जावे तो सारी समस्याओं का निराकरण संभव हैं मेरी उम्र 75 वर्ष है देरी से पत्र के लिये क्षमा।

7.श्री गौरी शंकर प्रसाद "प्रकाश" पहलेजा, डालमियानगर,बिहार

ज्ञान तत्व बराबर मिलता हैं इसमें तीन नाम है (1)बजरंग लाल (2)बजरंगलाल अग्रवाल (3) बजरंग मुनि। ये तीनो नाम एक ही हैं या अलग अलग।

उत्तर— तीनों नाम एक ही हैं। मेरा मूलतः नाम बजरंगलाल अग्रवाल ही है। नाम लम्बा होने से हस्ताक्षर बजरंगलाल के नाम से करने लगा। अब वानप्रस्थ के बाद बजरंग मुनि नाम पड़ गया। वैसे आप पत्र व्यवहार या सम्पर्क किसी भी नाम से कर सकते हैं। सरकारी रेकार्ड में बजरंगलाल अग्रवाल है।

8.आचार्य पंकज, अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेश

विचार— स्वामी अग्निवेष, अमरनाथ भाई, थामस कोचेरी, राधाभट्ट, जनकलाल ठाकुर, बनवारीलाल शर्मा आदि ने रायपुर से दंतेवाड़ा तक का शांति मार्च किया था। अग्निवेष जी ने उस मार्च का बहुत दुरूपयोग किया। उन्होंने अपनी मर्जी से दोनों पक्षों से गुप्त बात शुरू कर दी और विश्व भर में स्वयं को मध्यस्थ प्रचारित करा लिया। अग्निवेष जी ने सबके रोकने के बाद भी ममता बनर्जी की रैली में जाकर राजनैतिक भाषण दिया। उनकी मनमानी के कारण ही शान्तिवार्ता में लगे नक्सलवादी राजकुमार उर्फ आजाद तथा हेमचन्द पांडे की हत्या हुई जिसका परिणाम हुआ कि शान्ति वार्ता पर विराम लग गया। अमरनाथ भाई तथा अन्य शान्ति दूतों नें एक बयान देकर अग्निवेष जी के इस राजनैतिक धोखें की निन्दा करते हुए समाज को सतर्क किया है और शान्ति प्रक्रिया के टूटने का दोष अग्निवेष के स्वार्थ पर डाला है। यह पत्र पूरा का पूरा इलाहाबाद की पत्रिका समकालीन जनमत में छपा भी है। आप आर्य समाजी विचारों के हैं। अग्निवेष जी आर्य समाज के अध्यक्ष हैं। आप क्या सोचते है?

जनसत्ता दस अक्टूबर में स्वप्निल श्रीवास्तव ने लेख लिखकर रहस्योंद्घाटन किया है कि गांधी हत्या में गोडसे की अपेक्षा कुछ राजनेताओं की भूमिका अधिक थी जो गांधी को स्वतंत्रता के बाद अपनी राह का कांटा समझते थे। गांधी जी ने घटना के कुछ दिन पूर्व ही नेहरू और बिड़ला से एक चर्चा में कहा भी था कि अब भारत स्वतंत्र हो चुका है और अब मेरा संघर्ष सत्ता और धन के प्रतीकों से ही होने वाला है। स्पष्टतः नेहरू सत्ता के और बिड़ला धन के प्रतीक थे और दोनों ही गांधी की इस स्पष्टोक्ति के तिलमिला गये थे। दुनिया जानती है कि डा0 राममनोहर लोहिया या जे.पी. , गांधी जी के लोक स्वराज्य के विशेष पक्षधर थे किन्तु नेहरू जी तथा बिड़ला ने इन्हें कभी पनपने नहीं दिया। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि गांधी हत्या के बाद सत्ता सम्पत्ति के गठजोड़ ने भोले भाले गांधी वादियों को भी ग्राम सुधार की ओर मोड़ दिया। सत्ता और सम्पत्ति के गठजोड़ ने जो जिस तरीके से किनारे हो सका उसे उसी तरीके से किनारे किया और धीरे धीरे एकक्षत्र शासन व्यवस्था संभाल ली। गांधी के लिये कोई अलग रास्ता चुना गया तो गांधीवादियों के लिये अलग, लोहिया जयप्रकाश के लिये अलग और गोडसे जैसों के लिये अलग। लेख से मेरी धारणा को बल मिलता है कि गांधी हत्या में गोडसे मात्र उपकरण ही था। वास्तविकता तो सत्ता सम्पत्ति के गठजोड़ की ओर ही इशारा करती हैं।

मेरी इच्छा है कि आप इस संबंध में भी कुछ प्रकाश डालें।

समीक्षा— मैं कभी आर्य समाज का सदस्य नहीं रहा किन्तु जीवन भर आर्य समाज के विचारों के प्रति समर्पित रहा क्योंकि सवर्णो के अत्याचारों से पीड़ित होकर जब मैं इसाई बनने जा रहा था तब आर्य समाज ने ही मुझे इसाई बनने से बचाया था। मैं आर्यसमाज का ऋणी भी हूँ और वैचारिक आधार पर भी अब तक जुड़ा हूँ। किन्तु मैं उस समय से आज तक स्वतंत्र विचारों का रहा। यही कारण है कि मैंने आर्य समाज के विश्व भर के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेष की पिछले कई अंकों में कटु समीक्षा की है।

मैं सर्वोदय के लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूँ। ये बहुत भले लोग हैं। झूठ बोल नहीं सकते तो झूठ पकड़ भी नहीं सकते। ये प्रारंभ से ही वामपंथ के जाल में फंस गये। जिसने भी मीठी मीठी जनहित की बातें कर दीं उसी को अपना खास मान लिया। इस मामले में वामपंथी पूरी दुनिया में सबसे अधिक चालाक माने जाते हैं। उसका प्रमाण है कि आज तक सर्वोदय इस चालाकी से मुक्त नहीं हो पाया।

मुझे याद है कि करीब दस वर्ष पूर्व राजघाट पर सर्वोदय के दो संगठनों के बीच विवाद होने पर स्वामी अग्निवेष ने जो खेल खेला था उस समय अमरनाथ भाई वगैरह भी देख और समझ रहे थे। किन्तु ये सब सर्वोदय के लोग फिर भी उनके जाल में फंस गये। अग्निवष हर चुनाव लड़ने की तिकड़म करते रहते हैं। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आज फिर यदि अग्निवेष जी तेज आवाज में संघ परिवार को गाली देने लगें, अपनी वामपंथी छवि बना लें तो ये सब धोखा खा सकते हैं।

शान्ति मार्च का जो परिणाम होना था वही हुआ। यदि आजाद न मारा जाता तब ऐसी बचकानी शान्ति प्रक्रिया का और अधिक दुखद पटाक्षेप होता। आतंकवाद जिस दिशा में जा रहा है, कश्मीर, पाकिस्तान तथा नक्सलवाद का गठजोड़ बन रहा है, अरून्धती राय सरीखों के बयान आ रहे हैं वैसी स्थिति में सर्वोदय को भी स्वतंत्र लाइन लेनी होगी अन्यथा ये कुंआ और खाई में से एक में गिरने को मजबूर हो जायेंगे। सर्वोदय को यह स्वतंत्र लाइन लेने में क्या कठिनाई है कि केन्द्र सरकार कुछ विभाग अपने पास रखकर शेष सब परिवार गांव जिला प्रदेश में बांट दे। यदि आवश्यक हो तो कुछ विभाग केन्द्र में भी एक सभा को दे दे किन्तु सरकार के पास सेना पुलिस वित्त, विदेश न्याय से अधिक कुछ नहीं रहेगा। कश्मीर को इतनी स्वायत्तता पर्याप्त है किन्तु यह स्वायत्तता सिर्फ कश्मीर को ही क्यो?पूरे भारत के हर गांव को क्यों नहीं?यह स्वायत्तता कश्मीर प्रदेश को क्यों? वहॉ के हर परिवार हर गांव को क्यों नहीं। न ऐसी स्वतंत्रता नक्सलवाद पसंद करेगा न संघ परिवार और न ही पाकिस्तान। इसको पसंद करते लोहिया, गांधी, जयप्रकाश जो अब नहीं हैं। इस स्वतंत्रता को पसंद कर सकते हैं ठाकुरदास बंग, बजरंग मुनि, आचार्य पंकज जो अल्पमत में हैं। अमरनाथ भाई बनवारीलाल शर्मा समूह को जैसा धोखा हुआ है वह कड़ी अब तक रूकी नहीं है। अभी तो आगे आगे देखिये होता है ?क्या

मैंने एक लेख लिखकर स्पष्ट किया था कि गोडसे किसी विचार धारा से **Motivated**था। वह विचारधारा संघ परिवार द्वारा प्रचारित थी या सत्ता सम्पत्ति द्वारा यह मैं अब तक नहीं खोज पाया। मैं इस खोज में ज्यादा समय भी नहीं लगा सकूंगा क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है। जिस तरह राजनीति अति गंभीर अविश्वसनीय तिकड़म करने की क्षमा रखती है उस हालत में दावे के साथ कहना कठिन है कि सच क्या है? चाहे सच जो भी होगा वह इतिहास का विषय है। आज उसका उपयोग नहीं क्योंकि दोनों ही पक्ष सत्ता पक्ष में खड़े हैं। हम दो में से एक को चुनने में दिमाग खपाने की अपेक्षा मान लें कि गांधी हत्या सत्ता संघर्ष का परिणाम है। हम क्यों न मिल जुलकर सारी शक्ति लोक स्वराज्य पर लगा दें। यदि हम मजबूत हुए तो सब सत्ता प्रेमी एक होकर हमारा विरोध करेंगे। मेरा तो आपको यही सुझाव है कि आप व्यवस्था परिवर्तन मंच को कैसे मजबूत करें इस पर ज्यादा ध्यान दें।

मेरा एक सुझाव और है कि हम मृत महापुरूषों के अनुकरण की न आदत डालें न ही समाज में ऐसा स्पष्ट संदेश जाने दें। यदि हमने ऐसी भूल की तो कभी विचार खड़ा नहीं हो सकेगा। यदि गांधी को स्थापित किया गया तो लोक स्वराज्य विरोधी भी गांधी के नाम का उपयोग करके कुछ विपरीत कथानक देना शुरू कर देंगे और हम गांधी के वचन प्रमाणित करने में ही उलझ कर रह जायेंगे। हम गांधी को इसलिये मानते हैं कि उन्होंने सत्ता और सम्पत्ति के अकेन्द्रीयकरण का विचार दिया। हम उनके इस विचार के लिये आभारी हैं। हम लोक स्वराज्य के विचार के इसलिये समर्थक नहीं हैं कि वह गांधी का विचार है। हम गांधी के अनुयायी यदि हों तब भी घोषित करना हानिकारक मानते हैं। गांधी ने कानून से शराब बन्दी की बात कही जो उनकी लोक स्वराज्य की अवधारणा के ठीक विपरीत है। हम गांधी की इस बात को नहीं मानते। मेरा सुझाव है कि हम मृत महापुरूषों के वाक्यों को स्वतः प्रमाण घोषित न करें। हम देशकाल परिस्थिति अनुसार निकले निष्कर्ष वाक्यों को स्वतः प्रमाण माने और यदि वह वाक्य गांधी या किसी अन्य महापुरूष के कथन से पुष्ट होता हो तो उक्त महापुरूष के नाम और कथन का उपयोग करें। हम मृत महापुरुष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें अनुकरण नहीं। विचारकों के बीच अनुकरण प्रणामी को निरूत्साहित करना चाहिये। इसलिये मेरा मत है कि हम वाक्यों को स्वतः प्रमाण माने तो अधिक अच्छा होगा चाहे वह वाक्य महापुरूष के नाम के साथ जुड़े या न जुड़े। हम गांधी के नाम को उदाहरण के रूप में उपयोग करें और यदि कोई हमें गांधीवादी कहे तो उसे पलटकर खंडन करें कि मैं तो आचार्य पंकज हूँ।जहॉ तक गॉधी चले थे उसके आगे चलने की सोंच रहा हूँ पीछे नहीं। मेरी सोच पूरी तरह अपनी हैं। कुछ मामलों में दूसरों से आगे भी हो सकती है और कुछ मामलों में पीछे भी। यदि दूसरे लोग स्वतंत्र चिन्तन में सक्षम नहीं हैं और किसी के सहारे ही चल रहे हैं तो वे हमारे आदर्श नहीं।

9.श्री कौशल किशोर जी हाजीपुर, पटना, बिहार

ज्ञानतत्व मिला। पर्दा प्रथा का प्रारंभ कब हुआ यह पता नहीं किन्तु आज के वातावरण में पर्दा प्रथा को

कड़ाई से लागू करना चाहिये। जिस तरह समाज में फैशन के नाम पर महिला अंग प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका दुष्प्रभाव समाज पर साफ साफ दिख रहा है। पर्दाप्रथा किसी भी रूप में अत्याचार तो है ही नहीं बल्कि वह तो सदाचार का माध्यम है। जिस महिला के नख नहीं दिखते थे उसके वक्षस्थल तक दिखना गिरावट के लक्षण हैं।

उत्तर— मैं न तो पर्दा प्रथा का समर्थक हूँ न विरोधी क्योंकि पर्दाप्रथा परिवार का आन्तरिक मामला है और परिवार के पारिवारिक मामलों में समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। परिवार अपनी सीमा में कैसे रहे नंगा या बुर्के में यह उसका आन्तरिक मामला है। यदि वह गांव में नंगा घूमें तो गांव के लोग उसे चाहें तो रोक सकते हैं, गांव के बाहर के लोग नहीं। मेरे विचार में पर्दा प्रथा हो या नहीं यह सामाजिक चर्चा का विषय नहीं।

10.राकेश कुमार जैन, दिल्ली रोड, मेरठ,यू0पी0

ज्ञान गुरू से मिलता है। कोई व्यक्ति सम्पूर्ण ज्ञान का श्रोत नहीं होता। इसलिये भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञाता भिन्न भिन्न होने के कारण गुरू भी अनेक हो सकते हैं। रेल चलाने वाला यदि मुझे रेल चलाने की शिक्षा दे तो उस मामले में वह मेरा गुरू है। गुरू का मतलब यह नहीं होता कि वह सब मामलों में मेरा गुरू हो गया। किसी अन्य मामले में मैं भी उसका गुरू हो सकता हूँ। गुरू का स्थान सबसे उॅचा तो होता है किन्तु यह भी आवश्यक है कि गुरू उस विशेष ज्ञान का श्रोत हो जो उससे मुझे मिला हैं।

उत्तर— मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। यह कथन वर्तमान समय में हानिकारक है कि बिना गुरू के ज्ञान नहीं होता। इस कथन को पलटने की जरूरत है कि बिना ज्ञान के गुरू कैसा? गुरू बनने के लिये उसे ज्ञान वान होना चाहिये और मैने उससे उक्त ज्ञान प्राप्त किया हो तभी उसे गुरू कह सकते हैं। वह गुरू भी सीमित अर्थो में ही।

11.श्री विश्वनाथ सिंह जी हिल्सा, नालन्दा, बिहार

समीक्षा—कहने की जरूरत नहीं कि आप इस राष्ट्र के लिए वन्दनीय हैं, स्मरणीय हैं और गांधी —विनोबा की पंक्ति में है। भारत के 80 प्रतिशत परिचित लोग ऐसा मनते हैं। यह मेरा विश्वास है—लोगों के बीच चर्चा से, प्रचार से प्रसार से। मैं आपका एक सदस्य, अनजान व्यक्ति हूँ। ज्ञान—तत्व पढ़ता हूँ। भाई अरूण ने जो क्रूर शब्द आप के लिए प्रयोग किया, अंक 206 में, उसके लिए आप उन्हें क्षमा करें।

आपके साहस को सराहता हूँ कि आपने वह प्रश्न छाप दिया। आपके चरित्र को देखता हूँ कि आपने संयमपूर्वक उत्तर दिया। धन्यवाद है आपको। करते जाइए, बढ़ते जाइए, हम लोगों का आशीष, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। अपने ही पैसे का हिसाब आप किसे देंगे? धन्यवाद। इस पत्र को छापिये। अरूण जी नकारा दूर करें। स्वयं सेवक संघ प्रमुख दिल्ली, को उचित उत्तर दिया गया है।

12श्री वैधनाथ चौधरी, उन्नाव, बेगूसराय, बिहार

विचार— हमारा लोकतंत्र पूर्णतः प्रतिनिधियों के कब्जे में हो गया हैं। बापू ने शक्ति (पावर) के तीन आयाम कहा था। पहला है प्रेरक शक्ति (जेनरेटिंग पावर) दूसरा शक्ति को हाथ में लेना (कैचिंग पावर) और तीसरा अमल की शक्ति (एक्सरसाइजिंग पावर)। सत्ता को सत्ता निरपेक्ष सेवक द्वारा प्रेरित होना, प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता होना तथा जनता द्वारा अमल में लाना ही संसदीय स्वराज्य (पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगा। हमारा वर्तमान संसदीय लोकतंत्र मात्र प्रतिनिधियों का है। सहभागिता के बिना हमारा लोकतंत्र लंगड़ा है।

हमारे प्रतिनिधि भी मात्र 10 से 12 प्रतिशत मतदान से बनते हैं। पानी नाक तक आ गया है। डूबने से बचने का उपाय ढूढ़ा जाना चाहिए। हमारे चिन्तन में गांधी जी के सत्याग्रह जैसा कोई आन्दोलन जरूरी हो गया है। इसके लिए सामूहिक मतदान बहिष्कार एक उपाय हो सकता हैं।

बहिष्कार के पक्ष में यह बात है कि आज प्रत्याशी राजनैतिक दलों से होते हैं। दल प्रत्याशी के चरित्र को नहीं, वोट बटोरने वाले (मैनेज) की प्राथमिकता देता है। नतीजा है कि आज संसद और विधान सभाओं में हंगामा, कुर्सी फेंक , गाली—गुफ्ता ,माइक तोड़ आदि से ये मछली बाजार हैं।

आज सरकार भी एक बुराई बनकर है। कल्याण राज के नाम पर सारे कार्य सरकार अपने हाथ में ले ली हैं। उन कार्यो में शैथिल्य और भ्रष्टाचार है। शिक्षा की बदहालत है, कल्याणकारी योजनाओं में लूट हैं। भोली भाली जनता को लाभ नहीं मिलता या आंशिक मिलता है। जनसुरक्षा नहीं है, राजनेताओं ने अपनी जेड सुरक्षा ले रखी है। मिल मालिकों और पूॅजी निवेशकों से राजनेता भरपूर धन प्राप्त कर उनको अपने उत्पाद की अधिकतम दामों में विक्रय की छूट दे दी है। इससे जनता महंगाई से त्रस्त है।

आचार्य विनोबा भावे 1958 में ही आचार्यकुल को वोट नहीं देने कहा था। उस समय यह बेतूका लगा था। असल में महापुरूष दूरदर्शी होते हैं। आम लोग उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। आज की स्थिति मेंउनकी बात ठीक लग रही हैं।

वोट बहिष्कार से सहभागिता लोकतंत्र बनने की स्थिति बन सकती हैं इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए।

उत्तर— वर्तमान अवसर व्यवस्था सुधार का न होकर व्यवस्था परिवर्तन का है। विनोबा जी व्यवस्था सुधार की लाइन पर चल रहे थे और जे.पी. व्यवस्था परिवर्तन की लाइन पर। हमें सत्याग्रह का मार्ग पकड़ना होगा किन्तु सत्याग्रह समयवद्ध परिणाम मूलक होना चाहिये। मेरे कहने का आशय यह है कि सत्याग्रह का उद्देश्य जन मत जागरण न होकर व्यवस्था परिवर्तन हो।

मतदान बहिष्कार उपयोगी होते हुए भी आंशिक है तथा कठिन है। आज संसद में जो बुराई आई है उसका समाधान सत्ता के अकेन्द्रीयकरण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सत्ता के अकेन्द्रीयकरण के लिये तीन कार्य किये जा सकते हैं (1) अधिकतम निजीकरण के पक्ष में जनमत जागरण (2) ग्राम सभा सशक्तिकरण (3) सत्ता का विकेन्द्रीयकरण।

(1) निजीरण भ्रष्टाचार कम करेगा, संसद और सांसदों सहित राज्य के हस्तक्षेप कम करेगा तथा सत्ता और समाज के बीच की दूरी कम करेगा।

(2) ग्राम सभा सशक्तिकरण लोक और तंत्र की दूरी कम करने का प्रथम चरण है।

(3) सत्ता का विकेन्द्रीयकरण ग्राम सभाओं को मजबूत करेगा।

तीनों प्रयत्न एक दूसरे के पूरक हैं। मतदान का बहिष्कार तो न परिणाम दे सकेगा न ही संभव हैं। विनोबा जी ने जब कहा था उस समय समाज के पास विनोबा जैसा स्थापित व्यक्तित्व था। आज तो हम कई गुना अधिक पीछे चले गये हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस सुझाव पर फिर से विचार करें।

13.श्री नृपेन्द्र देशवाल, बिजनौर, यू0पी0

मुझे आपकी पत्रिका "ज्ञानतत्व" निरन्तर प्राप्त हो रही है। जिसे पढ़कर क्रान्तिकारी विचार मन में उत्पन्न होते है। लेकिन कभी—कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह पुस्तिका एवं योजनाएँ केवल छत्तीसगढ़ के लिये ही है। लेकिन विचार देशहित में ही है। फिर इसका प्रसार बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण कहीं यह तो नहीं कि हम नई पीढ़ी को भारत के सिस्टम के विरूद्ध चलने के लिये प्रेरित कर रहें है। चाहे जो भी हो, मुझे आपके क्रान्तिकारी विचार कुछ नया करने को प्रेरित करते है। और मैं आपके मिशन एवं भविष्य में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ पाया हूँ। कृपाकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें।

उत्तर— ज्ञान तत्व का प्रसारण छत्तीसगढ़ तक न होकर पूरे भारत में व्यापक स्तर पर है किन्तु सिर्फ हिन्दी भाषा में होने के कारण अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बहुत कम है। पचीस दिसम्बर के सम्मेलन में अंग्रेजी अनुवाद की भी योजना बन सकती है।

ज्ञान तत्व किसी भी रूप में विचार प्रचार के लिये नहीं है। अभी तो इसका स्वरूप विचार मंथन तक ही सीमित है। भविष्य में यदि किसी विषय पर अन्तिम निष्कर्ष निकल सका तब उस विषय में प्रचार की बात सोची जा सकती है।

हम भारत को वर्तमान सिस्टम के विरूद्ध कुछ करने को नहीं कह रहे। हम तो मात्र इतना ही कह रहे हैं कि आप ज्ञान तत्व पढ़ने पढ़ाने में योगदान करिये। आप ज्ञान तत्व में प्रकाशित विचारों से सहमत न हों तो विचारों का विरोध करिये। आप क्यों विरूद्ध है यह भी लिखिये। मेरी व्यक्तिगत आलोचना करने से बचिये। वैचारिक आलोचना से आपका सम्मान बढ़ेगा और व्यक्तिगत आलोचना का उत्तर आपको कष्ट देगा। वैचारिक आलोचना का लाभ मिल भी रहा है।

आपने कुछ सलाह मांगी है। मेरी सलाह है कि

(1) ज्ञान तत्व के सशुल्क या निःशुल्क पाठकों के नाम भेजिये।

(2) जब तक आपको कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ न हो तब तक किसी संगठन के साथ मत जुड़िये। कोई भी धार्मिक, राजनैतिक, जातीय, सामाजिक या राष्ट्रीय संगठन ऐसा नहीं जो समाज हित के लिये कुछ कर रहा हो। यदि आपको उक्त संगठन से कोई सुरक्षा, धन, पावर या प्रसिद्धि मिलती हो तभी उस संगठन में लगिये। लगभग सभी संगठन व्यापार कर रहे हैं भले ही मुखौटा धर्म का हो या समाज का या किसी राजनैतिक दल का।

(3)यदि आप निःस्वार्थ सेवा करना चाहते हों तो किसी भी संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा करते समय भी सतर्क रहिये कि आपकी निःस्वार्थ सेवा का लाभ कोई पेशेवर संगठन न उठाले।

(4)या तो आप किसी को वोट न दें और यदि देना ही हो तो

क. वर्तमान समय में केन्द्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह जी की सरकार अन्य सबों से अच्छा काम कर रही है।

ख. प्रदेश स्तर पर शान्ता कुमार, रमण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, येदुरप्पा, बाबूलाल मरांडी, नितिशकुमार, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नरेन्द्रमोदी, अशोक गहलोत, नवीन पटनायक, अच्युतानन्दन, जैसे लोगों को मजबूत करना चाहिये तथा लालू, रामबिलास पासवान, शिबुसोरेन, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी,

जयललिता, करूणानिधि, अजीत जोगी, जैसों को कमजोर। मैंने कुछ उदाहरण दिये हैं। अन्यों को आप इस आधार पर समझ सकते हैं।

ग. स्थानीय आधार पर किसी स्थानीय अच्छे व्यक्ति को वोट दे सकते हैं।

घ. यदि आपको ऐसा साफ व्यक्ति न दिखे तो आप उसे वोट दे सकते हैं जो आपका निकट का परिचित या रिश्तेदार हो। या जो आपकी भविष्य में लाभ दिला सकता हैं।

च.यदि ऐसा कुछ न हो तो आपको चाहिये कि आपको जो व्यक्ति तत्काल प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ दे उसे वोट दे सकते हैं। वोट के लिये धन लेना तभी अनैतिक है जब कोई विशेष अच्छा आदमी खड़ा हो। यदि चुनाव में खड़ा व्यक्ति पद का लाभ उठायेगा ही और हम व्यक्तिगत रूप से उसका कुछ नहीं कर सकते तो तत्काल सौदा कर लेना बिल्कुल गलत नहीं है। किसी व्यापारी के व्यापारिक काम को समाज सेवा के रूप में निःशुल्क सहायता करना मूर्खता है।

छ. यदि उपरोक्त स्थिति न हो तो अपना कीमती वोट अपने पास रखिये। उसे नाली में फेंकना उतना बुरा नहीं जितना कुपात्र को निःशुल्क दे देना।

(5)जब तक आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो तब तक किसी अन्य को किसी मतदान में प्रेरित मत करिये। या तो आपको लाभ हो या आप कोई बहुत अच्छे व्यक्ति की मदद करने जा रहे हैं तो करिये। समाज सेवा के नाम पर इन व्यवसाइयों की मदद करके आप पाप कर रहे हैं। यदि पाप भी करना हो तो कम से कम पापी पेट के लिये तो करें।

आशा है कि आप अपने विचार देंगे।

मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूँ कि ज्ञानतत्व सम्पूर्ण भारत की अकेली ऐसी पत्रिका है जो लीक से हटकर है। आप यदि कुछ सहायक हों तो हम आपके कृतज्ञ होंगे।

सूचना– ज्ञानतत्व का प्रकाशन वितरण रामानुजगंज से होता है जहॉ मेरा अस्थायी निवास है किन्तु कार्यालय अंबिकापुर है। यदि आप सब पत्र व्यवहार बजरंग मुनि, बनारस चौक, अंबिकापुर ,सरगुजा, छ0ग0–497001 से करें तो पत्र जल्दी मिलते हैं। आप मनीआर्डर भी इस पते पर कर सकते हैं। रामानुजगंज डाक पहॅुचने में कुछ देर होती है।